रेशम संचालनालय म0प्र0 भोपाल
(लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन)

क्रमांकः– रेसं/विस्तार/सात/29/2018–19/917 भोपाल दिनांक 8/3/19

प्रति,

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय भोपाल।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 से एन.ओई.सी. द्वारा तैयार सॉप्टवेयर ई–रेशम पोर्टल के माध्यम से कृषकों को आर्थिक सहायता भुगतान की पारदर्शिता बावत्।

संदर्भ :–1 रेशम संचालनालय का पत्र क.रेसं/विस्तार/सात/29/2018–19/381 दिनांक 28.2.2019
2 रेशम संचालनालय का पत्र क.रेसं/विस्तार/सात/29/2018–19/585 दिनांक 20.2.2019
3 रेशम संचालनालय का पत्र क.रेसं/विस्तार/सात/29/2018–19/727 दिनांक 26.2.2019
4 रेशम संचालनालय का पत्र क.रेसं/विस्तार/सात/29/2018–19/766 दिनांक 1.3.2019

संदर्भित पत्रो का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे। वित्तीय वर्ष 2019–20 से एन.आई. सी. द्वारा तैयार सॉफ्ट वेयर ई–रेशम पोर्टल के माध्यम से कृषकों को आर्थिक सहायता भुगतान की पारदर्शिता के उद्देश्य से **ई–रेशम पोर्टल** प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2015–16 से केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम योजना बंद होने के उपरांत निजी क्षेत्र में विस्तार का कार्य एकीकृत क्लस्टर कार्यक्रम, आदिवासी उप योजना एवं आर.के.व्ही.वाय. योजना अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त योजना अंतर्गत राज्य सरकार के बजट से प्राप्त राशि पूर्व प्रकिया अनुसार कोषालय से आहरित की जाकर जिले के अधिकारी एवं कृषक के संयुक्त खाते में जमा की गई है। वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की लगभग 75.46 करोड रुपये की राशि खातों में जमा है।

उक्त योजना अन्तर्गत जमा राशियों को, वर्ष 2019–20 से आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कृषकों के द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान FTO के माध्यम से ई–रेशम पोर्टल पर Digital Signature से सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में किया जावेगा।

अतः कृपया अवगत होना चाहेंगे।

8/3/19
(विभाष कुमार ठाकुर)
आयुक्त,रेशम

O/C